



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092021-230028
CG-DL-E-29092021-230028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3674]
No. 3674]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 28, 2021/ आश्विन 6, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ ASVINA 6, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2021

का.आ. 4008(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले में NH45A के कि.मी. 123.8 से कि.मी.179.555 (स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर (ला -नह), ४५अ , कलेक्टर ऑफिस , नागपट्टिनम) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर (ला -नह), नागपट्टिनम को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के नागपटनम जिले में NH45A के कि.मी. 123.8 से कि.मी.179.555 (स्पेशल डिस्ट्रिक्ट रेवेनुए अफसर (ला-नह), ४५अ, कलेक्टर ऑफिस, नागपट्टिनम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु		जिले का नाम: नागपटनम			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: नागपटनम					
गांव का नाम: अन्दानापेट्टाई					
1	120/3	निजी	मनाई	57.0000000(वर्ग मीटर)	0.0057000
2	45/10A2	निजी	वेट	65.0000000(वर्ग मीटर)	0.0065000
3	45/10B1	निजी	वेट	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
4	45/12A	निजी	वेट	50.0000000(वर्ग मीटर)	0.0050000
5	45/13A	निजी	वेट	30.0000000(वर्ग मीटर)	0.0030000
6	45/6A1	निजी	वेट	22.0000000(वर्ग मीटर)	0.0022000
7	45/6A2	निजी	वेट	140.0000000(वर्ग मीटर)	0.0140000
8	45/6A3	निजी	वेट	250.0000000(वर्ग मीटर)	0.0250000
9	45/9B2	निजी	वेट	150.0000000(वर्ग मीटर)	0.0150000
गांव का नाम: नागोरी					
1	1/20	निजी	वेट	950.0000000(वर्ग मीटर)	0.0950000
2	61/20	सरकारी	मनाई	2,950.0000000(वर्ग मीटर)	0.2950000
कुल				4,684.0000	0.4684

[फा. सं. NHAI/11013/2011-LA/Notiff./PIU-Viluppuram/2019/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2021

S.O. 4008(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH45A in the stretch of land from Km. 123.8 to Km. 179.555 (Villupuram-puducherry - Cuddalour - Nagapattinam) in the district of Nagapattinam in the state of TAMIL NADU, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special District Revenue Officer (LA -NH), Nagapattinam in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH45A in the stretch of land from Km. 123.8 to Km. 179.555 (Villupuram-puducherry - Cuddalour - Nagapattinam) in the district of Nagapattinam in the State of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU		District: Nagapattinam			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Nagapattinam					
Village: Andanapettai					
1	120/3	Private	Manai	57.0000000(Square Meter)	0.0057000
2	45/10A2	Private	Wet	65.0000000(Square Meter)	0.0065000
3	45/10B1	Private	Wet	20.0000000(Square Meter)	0.0020000
4	45/12A	Private	Wet	50.0000000(Square Meter)	0.0050000
5	45/13A	Private	Wet	30.0000000(Square Meter)	0.0030000
6	45/6A1	Private	Wet	22.0000000(Square Meter)	0.0022000
7	45/6A2	Private	Wet	140.0000000(Square Meter)	0.0140000
8	45/6A3	Private	Wet	250.0000000(Square Meter)	0.0250000
9	45/9B2	Private	Wet	150.0000000(Square Meter)	0.0150000
Village: Nagore					
1	1/20	Private	Wet	950.0000000(Square Meter)	0.0950000
2	61/20	Government	Manai	2,950.0000000(Square Meter)	0.2950000
Total				4,684.0000	0.4684

[F. No. NHAI/11013/2011-LA/Notiff./PIU-Viluppuram/2019/3A]

RAJESH GUPTA, Director